संख्या–02 / श्रमा0का0(औ0वि0)–04 / 2023 श्र0नि0 .... राँची, दिनांक–...........................

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

आम सूचना

विषयः– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 9C के तहत शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) का गठन

वैसे सभी औद्योगिक स्थापना जहां 20 या अधिक कामगारों का नियोजन किया जाता है, में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के भाग II (B) एवं धारा 9C के अन्तर्गत **शिकायत निवारण समिति** का गठन किए जाने का प्रावधान है। इस समिति में नियोजक एवं कामगारों के बराबर–बराबर संख्या में सदस्य होंगे। यह समिति मुख्यतः किसी कामगार द्वारा उठाए गए औद्योगिक विवाद पर 30 दिनों के भीतर कार्यवाही पूर्ण करेगी।

अतः सभी संबंधित नियोजकों से अपील है कि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शिकायत निवारण समिति का गठन कर उसकी विवरणी, जिसमें सदस्यों का नाम, मोबाइल संख्या, समिति का कार्य आदि का उल्लेख हो, अपने परिसर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें एवं उसकी सूचना अपने जिला के श्रम कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0 / –

(राजेश कुमार शर्मा)

सचिव

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं
कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–02 / श्रमा0का0(औ0वि0)–04 / 2023 श्र0नि0 834 राँची, दिनांक– 08-05-2023

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, झारखण्ड / सभी अपर श्रमायुक्त / सभी संयुक्त श्रमायुक्त / सभी उप श्रमायुक्त / सभी सहायक श्रमायुक्त / सभी श्रम अधीक्षक / मुख्य कारखाना निरीक्षक, राँची / सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.5.23

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–02 / श्रमा0का0(औ0वि0)–04 / 2023 श्र0नि0 834 राँची, दिनांक– 08-05-2023

प्रतिलिपि– सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8.5.23

संयुक्त श्रमायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner